राजस्थान–सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः प.3 / सामा–1 / संघ बैठक / 2020 / 11952 दिनांकः 04.09.2020

समस्त उपनिदेशक
आयुर्वेद विभाग
राजस्थान

विषयः– आयुर्वेद चिकित्साधिकारी की अनुपस्थिति में रोगियों को औषधालयों में उपलब्ध सामान्य औषधियों द्वारा प्राथमिक उपचार के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– राज्य सरकार के पत्रांक एफ.11(21)आयु. / 2020 जयपुर दिनांक 03.09.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय आचार संहिता में नर्स / कम्पाउण्डर के वर्णित कर्तव्यों के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 22 के अनुसार '' चिकित्सक की अनुपस्थिति / अवकाश में रोगियों को औषधालयों में उपलब्ध सामान्य औषधियों द्वारा तथा दी गयी निर्देशिका के आधार पर प्राथमिक उपचार देना'' अंकित है। उक्त परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के पत्रांक एफ.11(21)आयु. / 2020 जयपुर दिनांक 03.09.2020 के द्वारा विभागीय आयुर्वेद औषधालय / चिकित्सालय में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी की अनुपस्थिति / अवकाश के दौरान कार्यरत नर्स / कम्पाउण्डर द्वारा रोगियों का औषधालय / चिकित्सालय में उपलब्ध सामान्य औषधियों द्वारा साधारण उपचार के लिए निम्नांकित औषधियों का अनुमोदन किया गया है।

आभ्यान्तर प्रयोगार्थ औषधियाँः– 1. कर्पूर धारा 2. हरीतकी 3. विभीतकी 4. जन्मघूटी क्वाथ 5. बिल्वगिरी चूर्ण 6. आंवला चूर्ण 7. शतावरी चूर्ण 8. गिलोय चूर्ण 9. गौजिव्हादि क्वाथ 10. नेत्र बिन्दू 11. अर्क विशुचिकांतक 12. लवंगादी वटी 13. ईसबगोल भूसी

बाह्य प्रयोगार्थ औषधियाँः– 1. दशांग लेप 2. जात्यादि तेल

अतः उक्तानुसार अधीनस्थ समस्त चिकित्सालयों / औषधालयों को निर्देशित करते हुए आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीया

(सीमा शर्मा)
निदेशक

क्रमांकःप.3 / सामा.1 / संघ बैठक / 2020 / 11952 दिनांक :– 04.09.2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान।
2. प्रोग्रामर कम्पयूटर शाखा निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एंव संबधित कार्यालयों को जरिये ई– मेल प्रेषित करने हेतु।

(आनन्द कुमार शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक